भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **869**

गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>हवाई किराए की प्रतिपूर्ति</u>

869. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एयरलाइस और मान्यताप्राप्त यात्रा एजेंसियों को कोविड -19 प्रतिबंधों के दौरान उड़ानों के रद्द होने के कारण टिकट शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि एयरलाइस और यात्रा एजेंसिया कोविड -19 के दौरान उडान रद्द होने के कारण टिकट शुल्क की प्रतिपूर्ति करने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का एयरलाइस और यात्रा एजेंसियों के लिए इस हेतु एक तिथि नियत करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से राशि वापिस करने का निर्देश देने का विचार है;

(च) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का उड़ानें रद्द होने के कारण टिकट शुल्क की प्रतिपूर्ति करने में विफल रही एयरलाइनों और यात्रा एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))</u>

(क) से (ज): कोविड-19 वैश्विक महामारी परिस्थिति तथा इसके फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण, हवाई यात्रियों ने उड़ानों के रद्द किए जाने एवं रद्द किए गए टिकटों के लिए धनवापसी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना किया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उड़ान रद्द किए जाने के वजह से जो यात्री प्रभावित हुए थे, उनके हितों का उचित संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने दिनांक 16/04/2020 को 'लॉकडाउन की अवधि के दौरान हवाई किराए की वापसी, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रचालन निलंबित' के विषय पर परिपत्र जारी किया था। उक्त परिपत्र को, प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01/10/2020 के निर्णय, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार एयरलाइनों को किराया लौटाने का निदेश दिया गया था, के आधार पर दिनांक 07/10/2020 को 'लॉकडाउन के दौरान हवाई टिकट के रद्द किए जाने पर धनवापसी' शीर्षक के साथ संशोधित किया गया था। जैसा कि विनियामक, डीजीसीए, द्वारा सूचित किया गया है, सभी एयरलाइन डीजीसीए के उक्त परिपत्र का अनुपालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2021 में हुए बैठकों में, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी अनुसूचित एयरलाइनों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए, अविलंब शेष राशि लौटाने का निदेश दिया।